अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 895(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अक्तूबर,1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 740(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भगवान महावीर कैन्सर अस्पताल अनुसंधान केन्द्र, जनरल हाऊस, ए-95,जनता कॉलौनी, जयपुर, राजस्थान-302004 द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान में भगवान महावीर कैन्सर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र के चरण- I के निर्माण परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 10 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 21 मार्च,1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 235(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 210(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 867(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था ; तथा जिसे बाद में दिनांक 24 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 1123(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए पुनः बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा 1726.00लाख रुपए की अनुमोदित लागत को बढ़ाकर 2676.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है तथा यह सिफारिश भी की है कि गरीब रोगियों तथा भुगतान वाले रोगियों के रिकार्ड अलग-अलग रखे जाने चाहिए ;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :-

(क) भगवान महावीर कैन्सर अस्पताल अनुसधान केन्द्र, जनरल हाऊस, ए-95,जनता कॉलौनी, जयपुर, राजस्थान-302004 द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान में भगवानमहावीर कैन्सर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र के चरण- I के निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को

कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; तथा

(ख) दिनांक 12 अक्तूबर,1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 740(अ0) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 10 के सामने कालम (4) में अक्षरों, अंकों तथा शब्द " 1726.00 लाख रुपए" के स्थान पर अक्षर, अंक तथा शब्द " 2676.00 लाख रुपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 191-2003/फा. सं. एन.सी. 151/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)